S.No 70

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 133 /2001
New Delhi, dated 12.07.2001

No.E(P&A)I-2001/CPC/LE-5

The General Managers/OSDs/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per mailing lists No.I & III).

Sub: Grant of earned leave to Railway servants.

Attention is drawn to the provisions contained in Rule 503 of Indian Railway Establishment Code, Volume I 1985 Edition (Reprint Edition 1995), according to which leave cannot be claimed by a Railway servant as a matter of right. The authority competent to grant leave could refuse or revoke any kind of leave keeping in view the exigencies of the public service. In this regard it is reiterated that these provisions have been made with a view to avoid situations where leave has to be sanctioned to all the employees applying for leave, as depletion of staff cannot be permitted beyond a certain limit in the larger interest of the establishment.

2. As indicated in the Railway Ministry's decision below Rule 503 ibid, these provisions are not to be used as a tool to abridge the leave entitlement of the staff; rather it is desirable in the interest of efficiency, that the employees take leave at suitable intervals and return to work keen and refreshed.

3. In this context, the Department of Personnel and Training have recently issued instructions that the leave sanctioning authorities may encourage government servants to take leave periodically, preferably annually, and in cases where all the employees seeking leave cannot, in the interest of public service, be granted the same at the same time, the leave sanctioning authorities should draw a phased programme for the grant of leave to the applicants in turn with due regard to the priority of claims to leave, at the same time ensuring presence of adequate number of staff so that no dislocation in the normal working of the establishment is caused. Leave, should not ordinarily be denied to any employee, especially in the last 10 years of his/her career.

2/-

4. As availing of leave by the Railway servant, periodically is in the interest of the Railways as well as the Railway servants, keeping in view the instructions of Department of Personnel and Training as highlighted in para 3 above, the concerned departments should further streamline the leave sanctioning procedure and chalk out an annual leave programme ensuring at the same time smooth and efficient functioning of the establishment.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Kindly acknowledge receipt.

Nadira Razak

(NADIRA RAZAK)
Joint Director, Estt.(P&A),
Railway Board.

No.E(P&A)I-2001/CPC/LE-5 New Delhi, dated 12.07.2001.

Copy with (40 spares) forwarded to DIA (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways

No.E(P&A)I-2001/CPC/LE-5 New Delhi, dated 12.07.2001.

Copy to the FA &CAO, All Indian Railways & Production Units etc.

Nadira Razak

(NADIRA RAZAK)
Joint Director, Estt.(P&A),
Railway Board.

3/-

No. E(P&A)I-2001/CPC/LE-5 New Delhi, dated: 17.07.2001

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)

for Secretary, Railway Board.

Copy forwarded to :-

1. The Secretary General FROA
2. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association
3. The President, Railway Board Class II Officers' Association
4. The Secretary General, IRPOF
5. The President, Indian Railway Class II Officers Association
6. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
7. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association

Copy to:- PS to MR, PS/MSR(D), PS/MSR(OR)

Copy to : PPSs/PSs/PAs to :- CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RHS, DG/RPF, All Additional Members (25 spares), All OSDs(10 spares), Secretary, All Executive Directors (70spares), JS, JS(G), JS(E), JS(C), JS(D), DS(G), DF(E), JDPG II, DE(N), Dir(MPP), DE(G), JDPC, JDE(N), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(Gaz), JDE(W), JDE(GP), JDE(Res.) I, JDE(L),JDF(E), DDF(E) I & III(With 2 spares), DDPC-III, DDPC-IV, DDPC-V, DDE(R)-II, DDE(LR) I, II & III/Railway Board.

Copy to :- Cash - I, II, & III, Budget, E(P&A)II, E(G), E(NG) I & II, PC- III, PC- IV, PC-V, E(Trg.), E(MPP), E(LR) I/II/III, F(E)I/II/Special, FE(III)(with 4 spares), Sec (E), Sec(ABE), Accounts III(with 10 spares), Code Revision Cell(5 spares), ERB - I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc), E(Welfare), E(SCT), E(O) I, II III & III(CC), E(GR) I/II, E(GP), E(GC), PR, E(D&A) Branches of Railway Board.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं० 133/2001
सं०ई(पी एंड ए)I-2001/सीपीसी/एलई-5 नई दिल्ली, दिनांक 12-07-2001

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
(डाक सूची सं०1 और 3 के अनुसार)

विषय :- रेल कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी प्रदान करना ।

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द 1, 1985 संस्करण (पुर्नमुद्रित संस्करण् 1995) के नियम 503 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार किसी रेल कर्मचारी द्वारा छुट्टिओं के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता । सार्वजनिक सेवाओं की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी प्रदान करने से इंकार कर सकता है अथवा छुट्टिओं को रद्द कर सकता है । इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि ये प्रावधान ऐसी स्थितियों से बचने की दृष्टि से किए गए हैं, जहां छुट्टी के लिए आवेदन करने वाले सभी कर्मचारियों को छुट्टी स्वीकृत की जानी है क्योंकि स्थापना के व्यापक हित में कतिपय सीमा से अधिक कर्मचारियों को एक साथ छुट्टी की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

2. जैसा कि उक्त नियम 503 के नीचे रेल मंत्रालय के निर्णय में विनिर्दिष्ट किया गया है इन प्रावधानों का उपयोग कर्मचारियों की छुट्टी संबंधी पात्रता को पूरा करने के लिए एक आधार के रूप में न किया जाए बल्कि कुशलता हित में यह वांछनीय है कि कर्मचारी उपयुक्त अंतरालों पर छुट्टियां लें और एकाग्रचित तथा तरोताजा होकर ड्यूटी पर वापस लौटें ।

3. इस संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में अनुदेश जारी किए हैं कि छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी, सरकारी कर्मचारियों को आवधिक रूप से, विशेषकर वार्षिक रूप से, छुट्टियों लेने के लिए प्रोत्साहित करें और सभी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी मांगने के मामलों मे सार्वजनिक सेवा के हित में सभी को छुट्टियां प्रदान न की जाए और साथ ही साथ छुट्टियां स्वीकृत करने वाले प्रधिकारी, छुट्टियों के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को बारी-बारी से छुट्टियां प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाएं जिसमें छुट्टिओं से संबंधित दावों की प्राथमिकता का यथोचित ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि स्थापना के सामान्य काम-काज में कोई बाधा उत्पन्न न हो । सामान्यतः किसी भी कर्मचारी को छुट्टियां देने से इंकार न किया जाए विशेषकर उसकी सेवा के अंतिम 10 वर्षों के दौरान ।

4. चूंकि आवधिक रूप से छुट्टियों का उपयोग करना रेलों तथा रेल कर्मचारियों के भी हित में है अतः उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग छुट्टी स्वीकृत करने की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाएं तथा स्थापना का निर्बाध एवं कुशल कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए छुट्टियों के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम बनाएं ।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

6. कृपया पावती दें ।

नादिरा रज़ाक

(नादिरा रज़ाक)
संयुक्त निदेशक,स्था.(वे एवं भ)
रेलवे बोर्ड

सं०ई(पी एंड ए)I-2001/सीपीसी/एलई-5 नई दिल्ली, दिनांक 12-07-2001

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) डी आई ए (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित ।

उ०श्रीराम
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं०ई(पी एंड ए)I-2001/सीपीसी/एलई-5 नई दिल्ली, दिनांक 12-07-2001

प्रतिलिपिः- विसमुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि ।

नादिरा रज़ाक
(नादिरा रज़ाक)
संयुक्त निदेशक,स्था.(वे एवं भ)
रेलवे बोर्ड

सं०ई(पी एंड ए)I-2001/सीपीसी/एलई-5 नई दिल्ली, दिनांक 12-07-2001

प्रतिलिपिः-

1. महासचिव, एन एफ आई आर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. महासचिव, ए आई आर एफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
3. सदस्य राष्ट्रीय परिषद और विभागीय परिषद तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह, रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड